

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे उचित हो।



गाम : गूनीसिंदी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jurg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/4769

दिनांक : 25/04/12


// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार **दैपुरिया महाविद्यालय, मेहगांव, भिण्ड** को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित **एम.ए. पूर्वाह्न (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य), एम.एस-सी. पूर्वाह्न (गणित, प्राणिकी), बी.एस-सी. तृतीय वर्ष (कम्प्यूटर साइंस अति.वि.), बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, पी.जी.डी.सी.ए., बी.ए. (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, सैन्य विज्ञान, राजनीति शास्त्र), बी.एस-सी. (आ.पा., गणित, भौतिक, रसायन, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) बी.एच.एस-सी. पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्रत्येक विषय में कम से कम 2 शिक्षक एवं लाइब्रेरीयन, स्पोर्ट्स ऑफिसर और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति 28(17) में 01 माह के भीतर नियुक्त कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। प्राचार्य एवं 2 शिक्षक जो 28(17) में नियुक्त किये गये हैं उनका अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये।
 2. भवन का विस्तार करें।
 3. प्रयोगशालाओं में 02 लाख के उपकरण क्रय किये जायें एवं कम्प्यूटर प्रयोगशाला में कोर्स से सम्बन्धित सॉफ्टवेयर की लीगल कॉपी छत्र संख्या के आधार पर क्रय करें।।
 4. ग्रन्थालय में रु. 50,000/- की मानक पुस्तकें क्रय करें।
 5. शिक्षकों को वेतन बैंक के माध्यम से करें।
 6. महाविद्यालय परिनियम 27, 28 का पालन सुनिश्चित करे।
- सीट संख्या - एम.ए./एम.एस-सी. (प्रत्येक विषय में 20 से अधिक न हो)

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, दैपुरिया महाविद्यालय, मेहगांव, भिण्ड
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपकुलसचिव (सम्बद्धता)